



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

कि उक्त वाद को स्वार्थि (विद्रो)  
कारने के आदेश करमाने।

उक्त वादी के निवेदन अनुसार  
उचिता पत्र स्वीकार किया जाकर दावा  
निरस्त करमाया जाता है। पत्रावली  
कैबाल नुमाए होकर नम्बर से कम  
होकर दारिक्त दफतर को।

उपखण्ड अधिकारी  
निब. ( )